

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार/निरीक्षक,  
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद,  
जवाहर भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 31 जुलाई, 2017

**विषय:** मदरसा पोर्टल के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मदरसों के उन्नयन, पारदर्शिता, प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से मदरसा शिक्षा परिषद का वेबपोर्टल बनाया जाय।

2- पोर्टल पर मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त हर मदरसे द्वारा अपनी समस्त सूचनायें आन-लाइन अपलोड की जाएंगी। मदरसा प्रबन्धतंत्र को अपने सभी शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का विवरण आधार डिटेल के साथ भरना होगा। इसके अतिरिक्त मदरसा का भवन सम्बन्धी विवरण, कक्षाओं की माप आदि का विवरण देना होगा। पोर्टल में मदरसों को UDISE Code अंकित करना, जिससे कि मदरसे की geo-tagging सम्भव हो सकेंगी। हर मदरसे में अध्ययनरत छात्रों का विवरण भी अपलोड किया जाएगा।

3- साफ्टवेयर के माध्यम से टीचर्स/स्टाफ की डुप्लीकेसी चेक की जाए कि अलग-अलग मदरसों में एक ही स्टाफ कार्यरत न हो। इसके फलस्वरूप निर्धारित मानकों के अनुसार मदरसों में टीचर्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होगा।

4- कालान्तर में इसे छात्रवृत्ति पोर्टल से जोड़कर छात्रों की डुप्लीकेसी भी चेक की जाए। इससे फर्जी छात्र दिखाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिकाधिक लक्षित समूह को मिल

.....2


पाएगा। किसी मदरसे द्वारा फर्जी रूप से छात्र दिखाकर उन्हें डिग्री एवं जन्मतिथि प्रमाण-पत्र बांटने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा।

5- माह नवम्बर 2017 से जिले स्तर पर हर मदरसा भुगतान हेतु अपना बिल आन-लाइन प्रस्तुत करेगा और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रत्येक माह मदरसों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुदान का भुगतान आन-लाइन करेंगे। मदरसे के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का विवरण प्राप्त करने के उपरान्त खातों का सत्यापन PFMS सर्वर से कराये जाने के उपरान्त उन्हें हर माह भुगतान किया जाये।

6- वर्ष 2018 की उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षा इसी पोर्टल के माध्यम से सम्पन्न करायी जाए।

7- इस पोर्टल से मदरसा शिक्षा प्रणाली में उत्तरदायित्व निर्धारण होगा एवं पारदर्शिता आएगी। यह आन-लाइन पोर्टल प्रदेश के समस्त मदरसों को एक unified eco-system से जोड़ने का प्रयास है। मदरसा पोर्टल अगले 15 दिन में क्रियाशील कर लिया जाए। मदरसों को अपनी सूचनाएं अपलोड करने के लिए 15 अक्टूबर, 2017 तक का समय दिया जाए ताकि माह नवम्बर से अनुदान भुगतान उपरोक्तानुसार आन-लाइन सम्भव हो सके।

भवदीय,



(मोनिका एस0 गर्ग)

प्रमुख सचिव

सं0 1298 (1)/52-3-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- श्री सौरभ गुप्ता, राज्य सूचना विज्ञान अधि0, एन.आई.सी, लखनऊ।

आज्ञा से,

(मोनिका एस0 गर्ग)

प्रमुख सचिव